

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

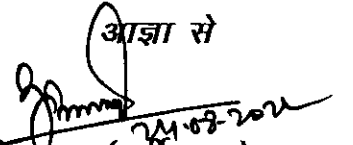
आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 102 /2022 दिनांक 25.08.2022

श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली) को दिनांक 29.08.2022 से 03.09.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती आर्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत (पाली)/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली) के पद पर ही होने की संभावना है।

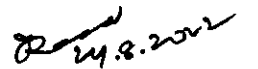
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/80/2002/573

दिनांक 25.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 2596 दिनांक 02.08.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत (पाली)।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।


सहायक रजिस्ट्रार